National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.newresearchjournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 13-06-2024, Accepted: 14-07-2024, Published: 29-07-2024
Volume 9, Issue 3, 2024, Page No. 41-44

लोकसुक्ति का सैद्धांतिक स्वरूप एवं विशेषताओं का सांस्कृतिक मूल्यांकन

महासिंह पूनिया
हिन्दी विभागाध्यक्ष, आई.आई.एच.एस., कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भारत

सारांश
लोकसुक्ति लोक में प्रचलित पुष्टिपरक ऐसे ब्रह्म वाक्य हैं जिनमें सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए अनुभव शामिल हैं। वास्तव में लोकोक्ति, कहावत, ग्रामोक्ति तथा लोकसुक्ति अलग–अलग विधाएं हैं। इन विधाओं पर अभी तक शोध नहीं हुआ है। सभी विधाएं एक–दूसरे से मिलती–जुलती हैं किंतु सैद्धांतिक स्वरूप की दृष्टि से सभी विधाएं एक–दूसरे से अलग हैं। लोकसुक्ति एक ऐसी विधा है जिसमें उपदेश के साथ–साथ पूरकता एवं संक्षिप्तता भी समाहित होती है। इसके अंतर्गत अनेक विशेषताएं समाहित होती हैं। जिनमें नैतिकता, उपदेशात्मकता, विस्मयता, प्रश्नात्मकता, आश्चर्यजनकता, सारगर्भिता, संक्षिप्तता, कौतुहलता, रोचकता, संदेशात्मकता, शिक्षात्मकता, मनोरंजनात्मकता, तुकांतता, लोकानुभवता, लोकमर्मज्ञता, औत्सुक्यता, अनुभवशीलता, प्रासंगीकता आदि शामिल हैं। इस प्रकार लोकसुक्तियां सांस्कृतिक दृष्टि से समाज में बिखरे हुए वे ज्ञानात्मक मोती हैं जिनको एक माला में पिरोकर नैतिकता एवं उपदेशात्मकता का संदेश जनमानस को दिया जा सकता है। इस शोधपत्र में लोकसुक्ति की परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएं एवं सांस्कृतिक मूल्यांकन को प्रस्तुत कर इसकी सार्थकता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्दः लोकसुक्ति, सांस्कृतिक मूल्यांकन, सैद्धांतिक स्वरूप

लोक से अभिप्राय

'लोक' शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है। यह शब्द संस्कृत के 'लोकदर्शने' धातु में 'घञ' प्रत्यय जोडने से निर्मित हुआ। इस धातु में इस शब्द का अर्थ है–देखना। इसका लट्लकार में अन्य पुरुष एक वचन रुप 'लोकते' होता है। अत: 'लोक' शब्द का मूल अर्थ हुआ– देखनेवाला। इसलिए 'लोक' शब्द का अभिप्राय उस सम्पूर्ण जनसमुदाय से है जो कि देश विशेष में निवास करता है। असल में, लोक से अभिप्राय ऐसे जनसमुदाय से है जो क्षेत्र विशेष में निवास करते हुए विविध प्रकार के कार्यकलाप को करते हैं। लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो आभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। लोक वह समाज है जिसमें अशिष्ट साहित्य पनपता है। इस साहित्य में आंचलिक संस्कारों से जुड़े हुए रीति–रिवाज, परम्पराएं एवं लोक साहित्य शामिल होता है।

लोक की परिभाषाएं

1. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, बल्कि नगरों और गाँवों में फैली हुई वह समूची जनता है, जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं हैं। ''ये लोक– परिष्कृत, रूचि–सम्पन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रूचि वाले लोगों की समूची विलासिता और सुकुमारता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएँ आवश्यक होती हैं, उनको उत्पन्न करते हैं।''[1]
2. डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है– आधुनिक सभ्यता से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली तथाकथित अशिक्षित और संस्कृत जनता को लोक कहते हैं, जिनका आधार, विचार एवं जीवन परम्परायुक्त नियमों से नियंत्रित होता है। उन्होंने आगे लिखा है कि जो लोग संस्कृति तथा परिष्कृत लोगों के प्रभाव से बाहर रहते हुए अपनी पुरातन स्थिति में वर्तमान हैं, उन्हें लोक की संज्ञा प्राप्त है। इन्हीं लोगों के साहित्य को लोक साहित्य कहा जाता है।
3. डॉ. श्याम परमार ने लोक की एक अनूठी परिभाषा दी है। उनका कहना है कि लोक का प्रयोग गीत, वार्ता, कथा, संगीत, साहित्य आदि से युक्त होकर साधारण जन–समाज, जिसमें पूर्वसंचित परम्पराएँ, भावनाएँ, विश्वास और आदर्श सुरक्षित हैं तथा जिसमें भाषा और साहित्यगत सामग्री ही नहीं, अपितु अनेक विषयों के अनगढ़; किन्तु ठोस रत्न छिपे हैं, के अर्थ में होता है। ''इस शब्द को अर्थ– विस्तार देते हुए उन्होंने लिखा है– वेद और लोक की भिन्नता वेद की प्रतिष्ठा के साथ लोक के स्वतंत्र सीमित अर्थ से ऊपर उठ चुका है। उसकी भावना वैदिक–अवैदिक दोनों क्षेत्रों को स्वाभाविक रूप से स्पर्श करने लगी है।''[2]
4. पं. श्रीराम शर्मा के शब्दों में–लोक शब्द उस विशेष जनसमूह का वाचक है, जो साज–सज्जा, सभ्यता, शिक्षा, परिष्कार आदि से दूर आदिम मनोवृत्तियों के अवशेषों से युक्त परिधि को समाविष्ट करता है। सूक्ति एक संक्षिप्त वाक्य होता है। जो कि अत्यन्त सारगर्भित होता है। जिसका जी भाव पल्लवन करने पर बड़ी व्याख्या प्राप्त होती है। सूफियों का प्रयोग चौपाई छंद दोहा आदि में किया जाता है इनसे भाषा चुटीली एवम् सारगर्भित हो जाती है।

सुक्ति से अभिप्राय

सुक्ति वह सूत्र वाक्य है जिसके माध्यम से सामाजिक अनुभवों एवं सरोकारों की अभिव्यक्ति होती है। सुक्ति वास्तव में एक सूत्र एक सामान्य सत्य या सिद्धांत की संक्षिप्त, संक्षिप्त, संक्षिप्त या यादगार अभिव्यक्ति है। सूत्र अक्सर परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। यह अवधारणा आम तौर पर सूक्ति/कहावत ब्रोकार्ड, चियास्मस, एपिग्राम, मैक्सिम (कानूनी या दार्शनिक), सिद्धांत, सुक्ति ओर कहावत से अलग है, हालांकि इनमें से कुछ अवधारणाओं को सूत्र के प्रकार के रूप में समझा जा सकता है। अक्सर सूक्तियों को अन्य छोटी कहावतों से इस आधार पर अलग किया जाता है कि उनका अर्थ समझने के लिए व्याख्या की आवश्यकता होती है। ए थ्योरी ऑफ़ द एफ़ोरिज़्म में, एंड्रयू हुई ने सूक्ति को ''एक छोटी कहावत के रूप में परिभाषित किया है। सुक्ति वास्तव में सारगर्भित अभिव्यक्ति है जिसमें संदेश भी निहित होता है।

लोकसुक्ति की परिभाषा

लोकसुक्ति लोक एवं सुक्ति शब्दों की संधि से उत्पन्न हुआ शब्द है। इसका सीधा अर्थ लोक में प्रचलित सुक्ति या यूं कह सकते हैं कि लोक में प्रचलित सारगर्भित संदेशपूर्ण सुक्ति ही लोकसुक्ति कहलाती है। वह सुन्दर उक्ति जिसमें संदेश निहित हो, उपदेश हो अथवा सुन्दर वचन समाहित हो लोकसुक्ति कहलाती है। लोकसुक्ति वास्तव में लोक में प्रचलित वह सूत्रवाक्य है जिनमें सवाल और जवाब दोनों होते हैं। एक पंक्ति दूसरी पंक्ति की पुष्टि करती है। ''बालकिशन शर्मा के अनुसार लोकसुक्ति पुष्टिपूर्ण वाक्य है जिसमें पहले वाक्य की पुष्टि दूसरे वाक्य से होती है। इसमें संदेश भी निहित होता है। जबकि लोकोक्ति में सामान्य चित्रण देखने को मिलता है।''[3] डॉ. संतराम देशवाल के अनुसार हरियाणवी लोक साहित्य के अध्येताओं एवं शोधार्थियों ने ''कहावत, लोकोक्ति, लोकसुक्ति और मुहावरे का ऐसा घालमेल कर दिया है कि इन्हें अलगाने एवं परिभाषित करने में पसीने छूटने लगते हैं।''[4] डॉ. महासिंह पूनिया के अनुसार ''लोकसुक्ति वह छोटे, सारगर्भित, उपदेशक एवं तुकान्त सूत्र वाक्य हैं जिनमें सामाजिक संदेश निहित होता है। इन सूत्र वाक्यों में पुष्टि का समावेश निहित होता है।''[5] उदाहरण के लिए–खेत्ती खसम सेत्ती, ना तै रेती की रेती। यहां पर तुकान्तता भी है, सारगर्भिता भी है, उपदेश भी है तथा प्रथम वाक्य की दूसरे वाक्य से पुष्टि भी है। इस प्रकार लोकजीवन में अनेकों लोकोक्ति मोतियों की तरह बिखरी हुई पड़ी है।

लोकसुक्ति का सैद्धांतिक स्वरूप

लोकसुक्ति वह सूत्र है जिसमें सत्य, सिद्धांत एवं अनुभवों की अभिव्यक्ति है। हरियाणवी लोकजनमानस अनुभव के आधार पर जब अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है तो उसे लोकजीवन में लोकसुक्ति कहते हैं। लोकसुक्ति वास्तव में वह लोक कथन है जिसको लोकमानस मिसाल के रूप में व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करता है। ''लोकसुक्ति सैद्धांतिक स्वरूप में जन्मा अनुभवी कथन है। कहावत जहां शिष्ट साहित्य का हिस्सा है, वहीं पर लोकसुक्ति लोकजीवन में प्रयोग किया जाने वाला कथन है। हरियाणवी लोकजीवन में लोकसुक्ति ऐसे ज्ञानवान टोटके हैं जिनके माध्यम से लोकजीवन के अनुभवों का सार मुखरित होता है।''[6] लोकोक्ति और लोकसुक्ति दोनों में मूलभूत अन्तर हैं। लोकोक्ति लोक में प्रचलित सामान्य उक्ति है। जबकि लोकसुक्ति लोक में प्रचलित वह संक्षिप्त तुकान्त सूत्र वाक्य हैं जिनमें पुष्टि एवं संदेश निहित होता है।

हरियाणवी लोकजीवन में प्रचलित लोकसुक्ति लोकजीवन की अनुभव की कसौटी पर खरी उतरती हैं। इनके अंतर्गत लोकजीवन का वह लालित्य एवं सार समाहित होता है जिसके अन्दर तीखापन, चटपटापन तथा गंभीरता देखने को मिलती है। लोक का फलक बहुत व्यापक होता है। लोकसुक्ति आंचलिकता को अपने अंदर समेटे हुए रहती है। इसके अंतर्गत परिवार, समाज, स्थान, नीति, व्यवहार, लोकज्ञान का सार अभिव्यक्त होता है।

कहावत और लोकसुक्ति में अन्तर

कहावत जहां शिष्ट साहित्य का हिस्सा है, वहीं पर लोकसुक्ति लोकजीवन का ज्ञानात्मक कथन है, जो अनुभव एवं कसौटी के आधार पर लोकजीवन का हिस्सा बना। इसी प्रकार लोक में प्रचलित सुक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकसुक्ति एवं कहावत में मूलभूत अन्तर हैं। लोकसुक्ति का फलक व्यापक होता है एवं इसमें ज्ञानात्मकता, उपदेशात्मकता समाहित होती है। कहावत का फलक आंचलिक होता है। मेरा मानना है कि कहावत लोकसुक्ति का वह प्रारंभिक स्वरूप है जो आंचलिकता का लबादा ओढ़े हुए है। इसमें शिष्टता देखने को नहीं मिलती इसीलिए कहावत लोकजीवन के गूढ़ अनुभवों की अभिव्यक्ति है। कहावत का फलक जब व्यापकता का रूप धारण कर ले और लोक की अभिव्यक्ति करने लगे तो वह सुक्ति का रूप धारण कर लेती है, आगे चलकर यह उक्ति लोकसुक्ति बन जाती है। लोकजीवन में अनेकों ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिससे ज्ञात होता है कि कहावत दोहा स्वरूप में तुकान्त अभिव्यक्ति है। इसके साथ लोकसुक्ति छोटी उक्ति के रूप में प्रस्तुत होती है। इसके साथ ही कहावतों की पृष्ठभूमि घटनापरक भी होती है। इनमें बड़ी–बड़ी समस्याओं, अनुभव, लोकजगत के जटिल सवाल, लघु एवं चटपटे वाक्य निसृत होते हैं। इन्हीं से कहावतों के प्रवादों की सृष्टि होती है। इसके साथ लोकजनमानस के अनुभव एवं विचार कहावतों में अभिव्यक्त होते हैं। लोकसुक्ति एवं कहावत तुलनात्मक दृष्टि से वाक्यार्थ में भिन्न होती हैं। कहावतें लोकजीवन में मौखिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कहावत लोकजनमानस की स्वीकृति से जन्म लेती है, किन्तु यह लोकसुक्ति का रूप तब बनती है जब लोक इसको सूत्र वाक्य के रूप में स्वीकार करता है।

लोकसुक्ति को लेकर अनेक विद्वानों ने अपनी राय प्रस्तुत की है। पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के अनुसार लोकसुक्ति का स्वरूप एवं परिभाषा कुछ यूं अभिव्यक्त किया गया है। जानसन के अनुसार– जनता में निरंतन व्यवहृत होने वाले छोटे–छोटे कथन। लार्ड रसल के अनुसार–एक की सूझ जिसमें अनेकों का चातुर्थ सन्निहित है। एनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटेनिका (ब्रिटिश विश्व–कोष) के अनुसार–लोक–साहित्य का एक प्रकार जो साधारण घरेलू वाक्य के रूप में जीवन की तीक्ष्ण आलोचना करें। आक्सफोर्ड इंगलिश डिक्शनरी के अनुसार–जनता में प्रचलित कोई छोटा सा सागर्भित वचन, अनुभव अथवा निरीक्षण द्वारा निश्चित या सबको ज्ञात किसी सत्य को प्रकट करने वाली कोई संक्षिप्त उक्ति। डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार– मानवी ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र–धनीभूत रत्न। डॉ. उदय नारायण तिवारी के अनुसार–''लोकसुक्तियाँ अनुभूत ज्ञान की निधि हैं। प्रो. कन्हैयालाल सहल के अनुसार– लोकसुक्ति सांसारिक व्यवहार पटुता और सामान्य बुद्धि का निदर्शन है। लोकसुक्ति के विषय में दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि लोकसुक्ति छोटी उक्ति है वह अशिष्ट साहित्य का हिस्सा है, जबकि कहावत साहित्य का हिस्सा है।''[7] अंतत: कहा जा सकता है कि लोकसुक्ति और कहावत में मूलभूत अन्तर है। नानी खसम करै, दोहता डंड़ भरै। बाबा कमावै, बेटे उड़ावैं। गुड़ खावै, गुलगुल्यां नै आण। बाप भला ना भैया, सबतै बड़ा रप्पैया आदि सभी लोकसुक्तियां है। जबकि – भाट भटियारी, बेस्वा, तीनों जात कुजात, आये का आदर करै, चलते पूछै ना बात। गाड़ीआला सदा दिवाला, भैंस वाला आधें, गायआला बचो बराबर, बकरी आला बाधे। यह दोनों कहावतें हैं। इस प्रकार लोकसुक्ति एवं कहावत में मूलभूत अंतर हैं।

लोकसुक्तियों की विशेषताएं

नैतिकता, उपदेशात्मकता, विस्मयता, प्रश्नात्मकता, आश्चर्यजनकता, सारगर्भिता, संक्षिप्तता, कौतुहलता, रोचकता, संदेशात्मकता, शिक्षात्मकता, मनोरंजनात्मकता, तुकांतता, लोकानुभवता, लोकमर्मज्ञता, औत्सुक्यता, अनुभवशीलता, प्रासंगीकता

लोकसुक्तियों का सांस्कृतिक मूल्यांकन

हरियाणवी लोकजीवन में लोक सूक्तियों की अहम भूमिका है। हरियाणा में लोक सुक्तियां उपदेश से पूर्ण होती है या उनमें किसी कहानी का वर्णन छिपा होता है। लोक–सुक्तियों के अन्तर्गत बड़ी–से–बड़ी कहानी या बात थोड़े में समा जाती है, यानि सौ बात की एक बात। डॉ. सन्तराम देशवाल ने सुक्तियों के विषय में कहा है–'हरियाणा के लोक मानस में अनेक ऐसी अच्छी

उक्तियां रची–बसी हुई हैं, जो अपने ग्राह्य–तत्त्व के प्राधान्य के कारण अन्य उक्तियों की अपेक्षा ज्यादा प्रभाव ड़ालती हैं, ऐसी उक्तियों को लोकसुक्ति या लोक सुभाषित कहते हैं। ये लोक सुक्तियां किसी श्रेष्ठ पुरुष के जांचे–परखे ज्ञान की शब्दलियां हैं, जो आकर्षक तो हैं ही, लोक मानस के लिए हितकारी भी सिद्ध होती हैं। वैसे तो हरियाणा के लोक साहित्य की सभी विधाओं के रचयिता अनाम एवं अज्ञात हैं, लेकिन कई सुक्तियों पर इनके रचयिताओं के नाम की छाप लगी हुई है। इस छाप के बावजूद इनमें से संकीर्णता की दुर्गंध कतई नहीं आती। लोक सूक्तियों में अनेक ऐसी मिलती हैं, जिन पर रचयिता के नाम की छाप नहीं है। कुछ ऐसी भी हैं, जो दोहा छन्द से मिलती–जुलती हैं।' हरियाणवीं लोक सुक्तियों में सहजता तथा सरलता होती है, बातों–बातों में औरतें ज्यादात्तर, लोक–सुक्तियां जड़ देती हैं। हरियाणा के ग्राम्य मुहावरों में लोकोक्तियां बातों में नगीने की तरह जुड़ी हुई मिलेंगी। ''हरियाणा में लोक सुक्तियां जनमानस की सहज अभिव्यक्तियां हैं। लोक सुक्तियां और लोक–मुहावरे हरियाणवीं भाषा में काफी प्रचलित हैं, जो साधारण व्यवहार में आते रहते हैं। हरियाणा में घाघ, भड्डली, डाक, सरूपा, सहदेव, सैदा नामक जनकवियों की मौसमी–ज्ञान, वर्षा की भविष्यवाणी, लोक व्यवहार, लोक नीति आदि की अनेक लोक सुभाषित मिलती हैं, जिन्हें संकलित किया जाना चाहिए।''[8] ये जनकवि कौन थे, कहां और कब पैदा हुए आदि बातों का बिल्कुल पता नहीं है, केवल अनुमान लगाए गए हैं। बहरहाल, इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर गहन शोध किया जाना चाहिए। हरियाणवी सुक्तियों में तुकान्तता, आचंलिकता, उपदेशात्मकता, ज्ञानात्मकता, अनुभवपरकता आदि विशेषताएं समाहित हैं। यहां हरियाणवीं लोक–सुक्तियों की कुछ अनूठी झलकियां देखिए-

ढंक्या मुंह गिदौड़ा सा, खुला मुंह बिटौड़ा सा।

लोकजीवन में लडक़ी ससुराल न जाने का बहाना करती है और रुष्ट हो जाती है जबकि लडक़ा गिंदौड़े खाने के लिए रुष्ट होता है इसकी अभिव्यक्ति इस लोकसुक्ति में देखने को मिलती है।

छोरी रूस्सै सासंरै जाण नै,
छोरा रूस्सै गिदौडे खाण नै,

सामाजिक दृष्टि से दामाद एवं जमाई के विषय में प्रचलन है कि वह ससुराल से दूर रहता है तो उसका सम्मान फूल के बराबर होता है। ऐसी मान्यता है कि दामाद ससुराल के नजदीक शहर में आ जाता है तो उसकी इज्जत आधी कम हो जाती है और जब वह दामाद ससुराल में आकर रहने लगता है तो यह मान्यता है कि उसकी औकात गधे जैसी हो जाती है, जी चाहे उससे जितना काम करवाते रहे। यह सुक्ति सटीकता की दृष्टि से इस कसौटी पर खरी उतरती है।

दूर जमाई फूल बराबर, शहर जमाई हे आधा,
घर जमाई गधे बराबर, मन आया जब लाद्या।[9]

हरियाणवी खान–पान में रोटियों से ज्यादा चावल की कीमत है क्योंकि चावल रोटियें के मुकाबले ज्यादा गुणकारी होता है, इसी प्रकार मां की बराबरी किसी से नहीं हो सकती है वह मौसी और फूफी सभी से ऊपर है। देखिए यह उक्तिः

रोटी करो, टुक्का करो, चौल बरोबर नाहीं,
मौसी करो, फूफी करो, माँ बरोबर नाहीं।

दिल्ली के विषय में यह लोकसुक्ति प्रचलित है कि यहां पर व्यापारी लोग रहते हैं, जिनका ऊपर से दिखावा कुछ और होता है और अंदर से वे लोग कुछ और होते हैं। इसीलिए यह उक्ति इसी आधार पर निर्मित हैः

दिल्ली की दलाली, मुंह चिकणा पेट खाली।[10]

लोकजीवन में दिखावा को ज्यादा प्रचारित एवं प्रसारित नहीं किया जाता क्योंकि लोक मान्यता है कि जहां दिखावा होता है वहां पर असलीयत कम होती है। इसलिए यह उक्ति उक्त विचार को चरितार्थ करती है।

ऊंची दुकान, फीका पकवान।

समाज अच्छे कृत्य करने वालों को सदैव सम्मान प्रदान करता है, जबकि बुरे कृत्य करने वाले को वह स्वीकार नहीं करता। यह मान्यता है कि जहां बुरे लोग रहते हैं वह नगरी ज्यादा दिन तक नहीं बसती, उसको ओच्छी नगरी के नाम से जाना जाता है वहां पर कुत्ते निवास करते हैं। जबकि कुचरित्र नारी का घर भी कभी नहीं बसता। इसलिए लोक में उक्त विचारों को प्रस्तुत करने के लिए यह लोकसुक्ति प्रचलित है।

ओच्छी नगरी कुत्ता वांसा, करी बीर का के घर बासा।[11]

समाज में जो व्यक्ति अगली पीढ़ी के लिए धन जोड़ता है उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। अनुभव के आधार पर यह लोक मान्यता प्रचलित है कि यदि बाबा कमाता है और पैसे जोड़ता है तो उसका बेटा उस पैसे को उड़ाने का काम करता है। इसलिए बेटों के लिए पैसा नहीं रोजगार देना चाहिए। यह उक्ति सटीक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है।

बाबा कमावै, बेटा उड़ावै।

सामाजिक जीवन में जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। यह परम्परा समाज में निहित है। इसी परम्परा को यह लोकसुक्ति चरितार्थ करती है।

जो बोवैगा, सो काटैगा।[12]

लोकसुक्तियां अनुभव का वह खजाना है जिसमें सामाजिक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। किसान जब खेत में हल चलाता है तो उसका फायादा उसको जरूर मिलता है। जोती हुई जमीन कभी भी अगुणकारी नहीं होती। इसके विषय में लोकजीवन में यह लोकसुक्ति र्प्रचलित है कि विवाह हुई औरत धोखा दे सकती है किंतु जोती गई जमीन कभी भी धोखा नहीं दे सकती। यह उक्ति इसी भावना को अभिव्यक्त करती है।

ब्याही दगा दे दे, पर बाह दगा ना दे।

लोक में प्रसिद्ध होने के लिए यह लोकसुक्ति जीवन के सार के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रसिद्ध या तो गीत गाने वाला व्यक्ति होता है या फिर दान करके भवन बनवाने वाला व्यक्ति होता है। दोनों ही कार्य सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। इस लोकसुक्ति में सामाजिकता का संदेश निहित है।

प्रसिद्धी कै तो गीतणा, ना तै भीतणा।

किसानी संस्कृति का सीधा संबंध खेती–बाड़ी से है। खेती करने के लिए किसान को स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। यदि वह दूसरों पर निर्भर रहता है तो उसकी फसल उससे वफा नहीं करती और उसको नुकसान होता है। ऐसे में खेत के मालिक यानि खसम को लेकर यह लोकसुक्ति विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

खेती खसम सेती, ना तै रेती की रेती।[13]

वर्तमान दौर में व्यक्ति का प्रभाव पैसे के सामने फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में समाज में बाप से बड़ा किसी को नहीं मानते थे, लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में लोक पारंपरिक रिश्ते धराशायी हो रहे हैं और पैसे को महत्व मिल रहा है। इसलिए वर्तमान दौर में यह लोकसुक्ति आधुनिकता की कसौटी पर खरी उतरती है।

बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रूपैया।

जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है सामाजिक दृष्टि से वह अपने आपको श्रेष्ठ मानता है। कमजोर व्यक्ति उसके सामने बोल भी नहीं पाता। इतना ही नहीं लोगों की मान्यता है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वह कमजोर को अपने सामने रोने तक नहीं देता। सोने के लिए उसकी खाट को भी छीन लेता है और उसको सोने भी नहीं देता। शक्ति के आधिक्य को चरितार्थ करने के लिए यह लोकसुक्ति प्रचलित है।

ठाडा मारै रोण ना दे, खाट खोस ले सोण ना दे।[14]

लोकसुक्तियां जहां एक ओर ज्ञान देती हैं वहीं पर दूसरी ओर पर्यावरण का संदेश भी देती हैं। लोक में प्रचलित है कि पाणी हमेशा छानकर पीना चाहिए। दोस्त हमेशा अनुभव के आधार पर पहचान करके बनाने चाहिए। इनके बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए यह लोकसुक्ति उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है।

पाणी पियो छाण कै, दोस्त बणाओ पिछाण कै।

जीवन में रहस्य बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं रहस्यों को आत्मसात् करते हुए व्यक्ति पूरा जीवन गुजार देता है और अपने घर–परिवार की कमजोरियों को उजागर होने नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को समाज में बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इसीलिए यह लोकसुक्ति इस भावना को सही रूप में अभिव्यक्त करती है।

बंद मुट्ठी लाख की, खुलगी तो खाक की।

निष्कर्ष

लोकसुक्ति लोक में प्रचलित पुष्टिपरक ऐसे ब्रह्म वाक्य हैं जिनमें सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए अनुभव शामिल हैं। वास्तव में लोकोक्ति, कहावत, ग्रामोक्ति तथा लोकसुक्ति अलग–अलग विधाएं हैं। इन विधाओं पर अभी तक शोध नहीं हुआ है। सभी विधाएं एक–दूसरे से मिलती–जुलती हैं किंतु सैद्धांतिक स्वरूप की दृष्टि से सभी विधाएं एक–दूसरे से अलग हैं। लोकसुक्ति एक ऐसी विधा है जिसमें उपदेश के साथ–साथ पूरकता एवं संक्षिप्तता भी समाहित होती है। इसके अंतर्गत अनेक विशेषताएं समाहित होती हैं। जिनमें नैतिकता, उपदेशात्मकता, विस्मयता, प्रश्नात्मकता, आश्चर्यजनकता, सारगर्भिता, संक्षिप्तता, कौतुहलता, रोचकता, संदेशात्मकता, शिक्षात्मकता, मनोरंजनात्मकता, तुकांतता, लोकानुभवता, लोकमर्मज्ञता, औत्सुक्यता, अनुभवशीलता, प्रासंगीकता आदि शामिल हैं। इस प्रकार लोकसुक्तियां सांस्कृतिक दृष्टि से समाज में बिखरे हुए वे ज्ञानात्मक मोती हैं जिनको एक माला में पिरोकर नैतिकता एवं उपदेशात्मकता का संदेश जनमानस को दिया जा सकता है। इस शोधपत्र में लोकसुक्ति की परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएं एवं सांस्कृतिक मूल्यांकन को प्रस्तुत कर इसकी सार्थकता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है।

संदर्भ सूची

1. डॉ. महासिंह पूनिया, लोक साहित्यिक धरोहर, अक्षरधाम प्रकाशन 2022, पृष्ठ संख्या 104
2. डॉ. महासिंह पूनिया, लोक साहित्यिक धरोहर, अक्षरधाम प्रकाशन 2022, पृष्ठ संख्या 195
3. बालकिशन शर्मा, साहित्यकार एक साक्षात्कार, दिनांक 27 अगस्त, 2024
4. डॉ. संतराम देशवाल, साहित्यकार एक साक्षात्कार, दिनांक 10 अगस्त, 2024
5. डॉ. महासिंह पूनिया, लोक साहित्यिक धरोहर, अक्षरधाम प्रकाशन 2022, पृष्ठ संख्या 93
6. डॉ. भीम सिंह मलिक, लोकविनोद शोध पत्र, प्रकाशन 1992, पृष्ठ संख्या 32
7. डॉ. भीम सिंह मलिक, लोकविनोद शोध पत्र, प्रकाशन 1992, पृष्ठ संख्या 20
8. डॉ. भीम सिंह मलिक, लोकविनोद शोध पत्र, प्रकाशन 1992, पृष्ठ संख्या 36
9. डॉ. महासिंह पूनिया, लोक साहित्यिक धरोहर, अक्षरधाम प्रकाशन 2022, पृष्ठ संख्या 152
10. डॉ. शंकर लाल यादव, हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य, पृष्ठ संख्या 180
11. डॉ. महासिंह पूनिया, लोक साहित्यिक धरोहर, अक्षरधाम प्रकाशन 2022, पृष्ठ संख्या 213
12. डॉ. जय नारायण कौशिक, हरियाणवी हिंदी कोश, प्रकाशन हरियाणा साहित्य अकादमी चंडीगढ़ 1985, पृष्ठ संख्या 215
13. डॉ. भीम सिंह मलिक, लोकविनोद शोध पत्र, प्रकाशन 1992, पृष्ठ संख्या 166
14. डॉ. महासिंह पूनिया, लोक साहित्यिक धरोहर, अक्षरधाम प्रकाशन 2022, पृष्ठ संख्या 214